न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 58/2020 निर्णय दिनांकः– 23-3-26
(जीसीएमएस संख्या 2020/00083)

1. ओमप्रकाश पुत्र सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी गोडू तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 23–08–1985
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः–

1. श्री हरिकिशन उपाध्याय, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 23–08–1985 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि अन्य को आवंटित कर दी गई के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के समक्ष बतौर भूमिहीन श्रेणी में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आवेदन पेश किया गया था। जिस अपीलांट द्वारा समस्त सबूत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23–08–1985 को अपीलांट के आवेदन को स्वीकार करते हुए चक 10 जी. एम.आर. सी.ए.डी. से 12 जी.एम.आर. के मुरब्बा नम्बर 100/30 में किला नम्बर 6, 7, 12 ता 15 15, 19, 20 में 8 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 8 ता 11 में 4 बीघा अनकमाण्ड एवं मुरब्बा नम्बर 100/55 में किला नम्बर 11, 19 ता 22 में 5 बीघा कमाण्ड कुल 13 बीघा कमाण्ड व 4 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटन की गई। अपीलांट को आवंटित मुरब्बा नम्बर 100/30 के किला नम्बर 6, 7, 12 ता 15, 19, 20 में 8 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 8 ता 11 में 4 बीघा अनकमाण्ड भूमि अन्य को आवंटित होने के कारण अपीलांट को कब्जा नही दिया गया और अपीलांट को सिर्फ मुरब्बा नम्बर 100/55 के किला नम्बर 11, 19 ता 22 की 4 बीघा 14 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का ही कब्जा दिया गया। अपीलांट को पात्रता अनुसार भूमि आवंटित नही की गई। और ना ही अपीलांट को आवंटित भूमि का कब्जा दिया गया।

अपीलांट अपील पात्रता अनुसार सम्पूर्ण आवंटित भूमि के बदले में अन्यत्र भूमि आवंटन करवाने का अधिकारी है। अपीलांट 17 बीघा कमाण्ड भूमि का सक्षम पात्र है इस कारण अपीलांट को सक्षमता के मुताबिक अन्य भूमि आवंटन न्याहित में किया जावे। अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावें।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब कोई तारीख पेशी नहीं बताई गई थी। अपीलांट आज दिनांक को भी उक्त मुरब्बा आवंटन करवाने का अधिकारी है तथा समस्त राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त

अपील अधिकारी
बीकानेर

फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2015 स्प.पेज 443 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर भूमिहीन श्रेणी में भूमि आवंटन करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की पात्रता की जॉच करते हुए अपीलांट को 17 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र घोषित किया गया था। तथा आदेशिका दिनांक 23–08–1985 द्वारा चक 10 जी.एम.आर. के मुरब्बा नम्बर 100/30 में किला नम्बर 6, 7, 12 ता 15, 19, 20 में 8 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 8 ता 11 में 4 बीघा अनकमाण्ड एवं मुरब्बा नम्बर 100/55 में किला नम्बर 11, 19 ता 22 में 5 बीघा कमाण्ड कुल 13 बीघा कमाण्ड व 4 बीघा अनकमाण्ड कुल 17 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। तथा आवंटन आदेश अपीलांट को जारी किया गया था।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को 17 बीघा कमाण्ड भूमि का सक्षम/पात्र घोषित किया गया था। अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि अपीलांट को आवंटन के बाद मुरब्बा नम्बर 100/30 के किला नम्बर 6, 7, 12 ता 15, 19, 20 में 8 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 8 ता 11 में 4 बीघा अनकमाण्ड भूमि अन्य को आवंटित होने के कारण अपीलांट को कब्जा नही दिया गया तथा अपीलांट को पात्रता अनुसार भूमि का आवंटन भी नही किया गया।

इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन आदेश का अवलोकन किया। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलांट को 17 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र घोषित किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को चक 10 जी.एम.आर. के मुरब्बा नम्बर 100/30 में किला नम्बर 6, 7, 12 ता 15, 19, 20 में 8 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 8 ता 11 में 4 बीघा अनकमाण्ड एवं मुरब्बा नम्बर 100/55 में किला नम्बर 11, 19 ता 22 में 5 बीघा कमाण्ड कुल 13 बीघा कमाण्ड व 4 बीघा अनकमाण्ड कुल 17 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। तथा आवंटन आदेश अपीलांट को जारी किया गया था।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य या खारिजी आदेश उपलब्ध नही है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलांट का आवंटन कभी खारिज हुआ हो। यह तथ्य निर्विवाद है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को 17 बीघा कमाण्ड भूमि का सक्षम/पात्र घोषित

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किया गया था। परन्तु आदेश दिनांक 23–08–1985 द्वारा अपीलांट को चक 10 जी.एम.आर. के मुरब्बा नम्बर 100/30 में किला नम्बर 6, 7, 12 ता 15, 19, 20 में 8 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 8 ता 11 में 4 बीघा अनकमाण्ड एवं मुरब्बा नम्बर 100/55 में किला नम्बर 11, 19 ता 22 में 5 बीघा कमाण्ड कुल 13 बीघा कमाण्ड व 4 बीघा अनकमाण्ड जो कि 15 बीघा कमाण्ड भूमि के बराबर होती है जबकि अपीलांट 17 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र था। इससे यह साबित होता है कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार भूमि का आवंटन नही किया गया है।

7. अतः इस स्थिति में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि का आवंटन यदि खारिज नही हुआ हो, अन्य किसी कार्य के लिए आरक्षित नहीं हो तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 23-3-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर